Dispatch No. KVK/PPT/2024/1682 Dt. 25/07/2024
Krishi Vigyan Kendra, Panipat

# चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार
# कृषि विज्ञान केन्द्र पानीपत

**विषयः—स्वरोजगार हेतु अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए पाँच दिवसीय व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों**

चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय,हिसार के कृषि विज्ञान केन्द्र ऊझा, पानीपत के द्वारा **"अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के किसानों की आजिविका उत्थान हेतु "** कार्यक्रम के तहत पानीपत जिले के अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए पाँच दिवसीय व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन स्तर में सुधार एवं स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस योजना के तहत कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा कुल 7 व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। जिनका विवरण इस प्रकार हैः—

| क्र०स० | विवरण | कार्यक्रम की संख्या | स्थान | कुल प्रति भागी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कटिंग व टेलरिंग | 2 | कृषि विज्ञान केन्द्र ऊझा | 60 |
| 2 | मूल्य संवर्धित उत्पादों विशेषकर बाजरे का बेकिंग (बेकरी) | 2 | —सम— | 60 |
| 3 | फल व सब्जी परिरक्षण | 2 | —सम— | 60 |
| 4 | नर्सरी उत्पादन | 1 | —सम— | 30 |
| | **कुल** | 7 | | 210 |

इच्छुक व्यक्ति कृषि विज्ञान केंद्र ऊझा से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है। यह केंद्र सिवाह—छाजपुर रोड़ पर नए बस स्टैड पानीपत से 5 किलो मीटर पर स्थित हैं।

प्रतिभागियों के चयन के लिए मानदंड :—

- ✓ ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंद एवं बेरोजगार युवक एवं युवतियों को प्राथमिकता दी जाएंगी है।
- ✓ स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को आवेदन की अनुमति नही दी जाएगी।
- ✓ प्रार्थी जिले पानीपत का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- ✓ **शैक्षणिक योग्यताः**—कम से कम पाँचवी पास है। विशेष परिस्थितियों में मानदंडो में छूट दी जा सकती है।

- ✓ **आयु सीमा:**–प्रशिक्षणार्थी की आयु सीमा 18–50 वर्ष है तथा प्रशिक्षण से सम्बन्धित आवश्यक ज्ञान होना चाहिए है।
- ✓ ग्रामीण क्षेत्र के विकलांग/विधवा/तलाकशुद्धा व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी।
- ✓ प्रशिक्षण में उन गाँवों के प्रार्थिओ को भी प्राथमिकता दी जाएंगी जिन गाँवों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत से अधिक है।
- ✓ एक ही परिवार से या पहले प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति दुबारा प्रशिक्षण में शामिल नही किया जाएगा।

### प्रशिक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज

- ✓ तहसीलदार/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति।
- ✓ आधार कार्ड /वोटर कार्ड की प्रति।
- ✓ शैक्षणिक प्रमाण पत्र यदि कोई है की प्रति।
- ✓ दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो।
- ✓ सक्रिय चालू बैक खाते की प्रति।
- ✓ फैमली परिवार पहचान पत्र।

### आवेदन करने की अवधि

प्रार्थी 24 जुलाई 2024 से 15 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते है। आवश्यकता पडने पर अन्तिम तिथि बढाई जा सकती है। आवेदन पत्र व शपथ पत्र प्राप्त करने व अधिक जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र ऊझा में सम्पर्क करें या **चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार** की आधिकारिक वेबसाइट https://hau.ac.in से आवेदन पत्र व शपथ पत्र डाउपलोड कर सकते है।

### आवेदन पत्र का प्रारूपः

आवेदन पत्र का प्रारूप व शपथ पत्र सलग्न है। इच्छुक व्यक्ति पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र व शपथ पत्र अपने गावॅ के सरपंच के हस्ताक्षर के साथ कृषि विज्ञान केन्द्र ऊझा, पानीपत मे जमा करवायें।

वरिष्ठ संयोजक
Sr. Coordinator
कृषि विज्ञान केन्द्र ऊझा, पानीपत
KVK, Panipat-132104

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय,

कृषि विज्ञान केन्द्र, पानीपत

अनुसूचित जाति –अनुसूचित जन जाति के लिए किसानों की आजिविका उत्थान हेतु प्रशिक्षण

प्रशिक्षण का नाम :..................................................................

1. नाम :..................................................................

2. पिता/पति का नाम :..................................................................

3. गांव व जिला :..................................................................

4. मोबाइल नम्बर :..................................................................

5. जाति व उम्र :..................................................................

6 शिक्षा :..................................................................

7. आधार नम्बर :..................................................................

8. बैंक का नाम :..................................................................

9. अकाउंट नंबर :..................................................................

10. **IFSC** कोड :..................................................................

प्रमाणित किया जाता हैः–

1. कि मैं अनुसूचित जाति से सम्बंध रखता/ रखती हूँ और मैने और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने कृषि विज्ञान केन्द्र, पानीपत द्वारा "**अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के किसानों की आजिविका उत्थान हेतु** " कार्यक्रम के तहत आयोजित किसी भी प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया है और न ही इसके तहत कोई अन्य लाभ प्राप्त किया है।
2. कि यह शपथ पत्र मैं अपनी मर्जी से दे रहा/ रही हूँ तथा सारी जानकारी सत्य है।
3. कि अगर मै दोषी पाया जाता/ जाती हूँ तो कृषि विज्ञान केन्द्र, पानीपत मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा।
4. कि मैं प्रशिक्षण उपरान्त मिलने वाले सामान को केवल स्वरोजगार के लिए प्रयोग करुगां/करुगीं।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

मै तसदीक करता हूँ कि प्रार्थी द्वारा दी जानकारी सही हैं।

सरपंच

नोटः–आधार कार्ड, "अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति का प्रमाण पत्र व बैंक पास बुक की फोटोकॉपी आवेदन के साथ संलग्न करें।

# <u>शपथ पत्र</u>

मैं.......................................................**पुत्र** / पुत्री / पत्नी श्री.......................................................

गावं.......................................................का स्थाई निवासी हूँ। मै तसदीक करता हूँ :–

1. कि मैं अनुसूचित जाति से सम्बंध रखता/ रखती हूँ।
2. कि मैने और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने कृषि विज्ञान केन्द्र, पानीपत द्वारा "**अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के किसानों की आजिविका उत्थान हेतु** " कार्यक्रम के तहत आयोजित किसी प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया है और न ही इसके तहत कोई अन्य लाभ प्राप्त किया है।
3. कि यह शपथ पत्र मैं अपनी मर्जी से दे रहा/ रही हूँ तथा सारी जानकारी सत्य है।
4. कि अगर मै दोषी पाया जाता/ जाती हूँ तो कृषि विज्ञान केन्द्र, पानीपत मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा।
5. कि मैं प्रशिक्षण उपरान्त मिलने वाले सामान को केवल स्वरोजगार के लिए प्रयोग करुगां/ करुगीं।

**प्रार्थी के हस्ताक्षर**

मै तसदीक करता हूँ कि प्रार्थी द्वारा दी जानकारी सही हैं।

**सरपंच**